मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
ESIC

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in
सत्यमेव जयते

संख्या :ए-49023/9/2023-रा.भा. दिनांक : /5/2024

सेवा में,

बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
सभी आंचलिक बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त, आंचलिक कार्यालय।
सभी अपर आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी उप निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष
क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/अस्पताल/महाविद्यालय/पीजीआईएमएसआर
निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से न करने/बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित न किए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

यह पाया गया है कि कुछेक निगम इकाइयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है और कुछेक इकाइयां विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करने के बावजूद उसका कार्यवृत्त मुख्यालय अग्रेषित नहीं करती हैं।

उल्लेखनीय है कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में 04 बार**(प्रत्येक तिमाही में एक बार अर्थात मई, अगस्त, नवंबर एवं फरवरी की 15 तारीख से पहले)** समान अंतराल में आयोजित की जानी अनिवार्य है तथा इसकी अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख द्वारा ही की जानी अपेक्षित है। उक्त बैठकों के कार्यवृत्त बैठक के आयोजन की तारीख से 15 दिनों के भीतर जारी किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिन इकाइयों में राजभाषा कार्मिक तैनात नहीं है उन इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन अर्थात हिंदी तिमाही बैठक का आयोजन तथा बैठक के कार्यवृत्त जारी करवाना इत्यादि के लिए संयुक्त निदेशक(रा.भा.)/उप निदेशक(रा.भा.)/सहायक निदेशक(रा.भा.)/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को नियमित वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की तैनाती होने तक अथवा अगले आदेशों तक अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो। माननीय संसदीय राजभाषा समिति भी निरीक्षण के दौरान इस संबंध में मामले को गंभीरता से देखती है।

अतः निवेदन है कि उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने का श्रम करें।

भवदीय,

Signed by Shyam Kumar
Date: 22-05-2024 11:51:38

(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि :

1. सभी संयुक्त निदेशक(रा.भा.)/उप निदेशक(रा.भा.), क.रा.बी.निगम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बेबसाइट पर अपलोड करने के निवेदन सहित।